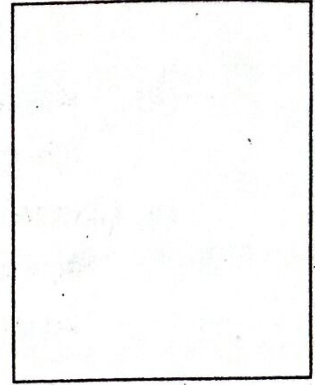


शासकीय ई. राघवेन्द्र राव स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, बिलासपुर

छात्रावास में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र

सत्र- 200.....-200.....



आवश्यक जानकारी
(A) नाम का आधार नम्बर -
(B) नाम का ई मेल आईडी -
(C) नाम का दूरभाष नं. -

01. छात्र का पूरा नाम (हिन्दी में)
(अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)
02. पिता का पूरा नाम, पता ,
दूरभाष क्रमांक
दूरभाष
03. पिता यदि जीवित न हो तो
अभिभावक का पूरा नाम व पता
दूरभाष क्रमांक सहित
दूरभाष
04. पिता/अभिभावक की वार्षिक आय
.....
05. जन्म तिथि (अंको में)
(शब्दों में)
06. किस कक्षा में प्रवेश लिया है
07. विवाहित अथवा अविवाहित
08. यदि पूर्व में छात्रावास में रह चुकी है तो उसका विवरण (पिछले तीन वर्षों में)

<u>सत्र</u>	<u>छात्रावास का नाम</u>
1.	
2.	
3.	
09. वर्ष /परीक्षा जिसके आधार पर आगामी कक्षा में प्रवेश लिया गया है विवरण-
अंकों का प्रतिशत श्रेणी वर्ष
10. छात्र के गृह नगर में महाविद्यालय
है अथवा नहीं
11. क्या छात्र हरिजन अथवा आदिवासी है

12. (अ) स्थायी पता

(ब) स्थानीय अभिभावक का

नाम, पता व दूरभाष क्र.

(स) छात्रावास नियम

के अनुसार मिलने वाले

व्यक्ति का नाम पता व दूरभाष

01. स्थानीय अभिभावक के हस्ताक्षर

02. मिलनेवाले व्यक्ति के हस्ताक्षर

उपर्युक्त हस्ताक्षर प्रमाणित करने के लिये पिता का हस्ताक्षर

छात्रावास प्रवेश के समय पिता अथवा अभिभावक स्वयं उपस्थित हो तथा स्वयं मिलने वालों के नाम तथा पता लिखें की अनुपस्थिति में छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

स्वास्थ्य प्रमाण पत्र

मैंने श्री का पूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण किया है तथा वह किसी भी क्रानिक अथवा संसर्ग रोग से पीडित नहीं है। उन्हें हिस्टीरिया की बीमारी नहीं है।

हस्ताक्षर.....

सिविल सर्जन अथवा उन्हीं के समकक्ष पद पर
आसीन शासकीय स्वास्थ्य अधिकारी

घोषणा पत्र

शासकीय ई. राघवेन्द्र राव स्नातकोत्तर महाविद्यालय छात्रावास के नियम मैंने सतर्कता से पढ़ लिये हैं तथा वचन दे रहा हूँ कि मैं निष्ठा से उनका पालन करूँगा। नियम भंग करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये प्रस्तुत रहूँगा। मैं जानता हूँ कि रैगिंग एक दंडनीय अपराध है, मैं रैगिंग की सख्त विरोधी हूँ व यदि मैं छात्रावास/महाविद्यालय में रैगिंग करते या इसमें लिपट पाया गया तो मुझे तत्काल छात्रावास/महाविद्यालय से निष्काषित किया जावे।

पालक अथवा अभिभावक के हस्ताक्षर

प्रार्थी

छात्रावास कार्यालय के उपयोग हेतु

छात्रावास संख्या.....

श्री कक्षा.....
को प्रवेश प्रदान किया गया और कमरा नं..... में निवासित किया गया जिसमें
छात्र रह सकता है।

दिनांक.....

हस्ताक्षर छात्रावास अधीक्षक

शास.ई. राघवेन्द्र राव स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय

छात्रावास संख्या.....

श्री कक्षा..... को छात्रावास में
प्रवेश दिया जाता है।

प्राचार्य

छात्रावास, शासकीय ई. राघवेन्द्र राव स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

छात्रों के अभिभावक एवं स्थानीय अभिभावक के साथ मिलने एवं बाहर जाने का नियम

1. छात्र का स्थानीय अभिभावक होना अनिवार्य है ।
2. छात्र के माता पिता द्वारा अनुमोदित व्यक्ति ही स्थानीय अभिभावक होंगे जो कम से कम एक या दो व्यक्ति हो सकते हैं ।
3. अभिभावकों से निवेदन है कि छात्रावास में प्रवेश प्राप्ति के बाद स्थानीय अभिभावकों की पासपोर्ट साइज फोटो दो प्रतियों में छात्रावास में जमा करें ।
4. प्रवेश प्राप्त होने के बाद छात्र के माता-पिता को दो प्रतियों में स्थानीय अभिभावक वाला फार्म स्वयं भरकर छात्रावास में जमा करना होगा ।
5. रविवार को पूर्वान्ह 10.30 बजे से सायं 5 बजे तक एवं शनिवार को सायं 3.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक छात्र अभिभावक (माता-पिता) एवं स्थानीय अभिभावक से मिल सकता है ।
6. अवकाश के समय छात्र को लेने स्थानीय अभिभावक या माता-पिता को स्वयं आना पड़ेगा तथा निर्धारित अनुमति पुस्तिका में हस्ताक्षर करने होंगे ।
7. प्रतिदिन संध्या 5.30 बजे प्रत्येक छात्र को छात्रावास में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना आवश्यक है एवं सायंकाल 6 बजे भोजन कक्ष में स्वयं उपस्थित रहकर उपस्थित पत्रक में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना आवश्यक है ।
8. माता-पिता या अभिभावक के अनुमति पत्र के बिना छात्र को स्थानीय अभिभावक के घर या अन्य कहीं भी जाने की अनुमति एवं रात्रि में रुकने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

छात्रावास के सामान्य नियम

1. प्रत्येक छात्र को एक टार्च रखना आवश्यक है ।
2. छात्रों को गहने एवं मूल्यवान वस्तु साथ रखने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।
3. अपने व्यक्तिगत सामान की सुरक्षा हेतु प्रत्येक छात्र के पास लोहे की पेटी या अटैची एवं ताला होना अनिवार्य है ।
4. बिना समुचित कारण के लगातार 1 (एक) माह या उससे अधिक समय के लिये छात्रावास से अनुपस्थित रहने पर छात्रावास से प्रवेश निरस्त माना जावेगा ।
5. किसी भी समस्या पर अंतिम निर्णय प्राचार्य का होगा ।
6. छात्रावास में कमरे, प्रांगण, स्नानगृह आदि सभी स्थानों की स्वच्छता बनाये रखना अनिवार्य है ।
7. छात्रावास में अतिथि के रुकने का कोई प्रावधान नहीं है ।
8. छात्रावास में छात्रों के अतिरिक्त अभिभावक एवं माता के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को कमरे में जाने की अनुमति नहीं है ।
9. छात्रावास में रैगिंग सर्वथा वर्जित है । किसी भी छात्र को यदि अन्य छात्रों को परेशान या रैगिंग करते हुये पाया गया तो तत्काल उसे महाविद्यालय एवं छात्रावास से निकाला जायेगा ।
10. छात्रावास में प्राचार्य की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की सभा या उत्सव का आयोजन नहीं किया जायेगा ।
11. निजी उपकरण जैसे मोबाइल, ट्रांजिस्टर, प्रेस, गैस चूल्हा, स्टोव, हीटर इत्यादि का प्रयोग वर्जित है ।
13. किसी भी अवकाश के समय छात्रों की कक्षाएँ समाप्त होने के बाद ही छात्रावास छोड़ने की अनुमति दी जायेगी एवं अवकाश समाप्त होने से पूर्व छात्रावास में उपस्थित रहना होगा ।

14. छात्रों को अपने उपयोग की सामग्री जैसे बिस्तर, मच्छरदानी, भोजन करने के बर्तन, बाल्टी, मग आदि स्वयं लाना होगा।
15. छात्रावास कमरें, बिजली, पानी का शुल्क, एक माह का अग्रिम भोजन शुल्क, छात्रावास में प्रवेश हेतु चयन होने पर निर्दिष्ट तिथि के अन्दर कार्यालय में जमा करना होगा।
16. छात्रावास का मासिक शुल्क (पूरे वर्ष का) दो किश्तों अर्थात् सितम्बर तथा दिसम्बर माह की 15 तारीख तक प्रत्येक छात्र को जमा करना होगा अन्यथा 10/- प्रतिदिन के हिसाब से दंड देना होगा।
17. छात्रों से अपेक्षा की जायेगी की छात्रावास के सामानों का सावधानी पूर्वक उपयोग करें, क्षति होने पर उस सामान की वसूली छात्रों से की जायेगी।
18. हर सत्र के प्रारंभ होने पर जिस मॉह से छात्रावास मेस प्रारंभ होगा उस माह से वार्षिक परीक्षा पूर्ण होने तक प्रत्येक छात्र को संपूर्ण मेस शुल्क निर्धारित तिथि तक देना होगा साथ ही अन्य छात्रावास संबंधि शुल्क देना होगा।
19. यदि किसी कारणवश कोई छात्र छात्रावास छोड़ता है तो उसे अग्रिम मेस शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
21. स्वास्थ्य खराब होने पर छात्रावास अधीक्षक को पहले सूचना दें।
22. अवकाश पर जाने के पश्चात निर्धारित तिथि में छात्रावास में उपस्थित नहीं होने पर किसी भी प्राइवेट डाक्टर का चिकित्सा प्रमाण पत्र संलग्न या प्रस्तुत ना करें। यह मान्य नहीं होगा। केवल मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
28. समस्त पालक, अभिभावकों एवं छात्राओं से अपेक्षा है कि छात्रावास के नियमों को सावधानी से पढ़कर उसका पालन करते हुये छात्रावास की गरीमा को बनाये रखें।

प्राचार्य

शास. ई.राघवेन्द्र राव स्नातकोत्तर विज्ञान
महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

छात्रावास अधीक्षक

शास. ई.राघवेन्द्र राव स्नातकोत्तर विज्ञान
महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

शपथ-पत्र

मैं वचन देता हूँ/देती हूँ कि मैंने एवं मेरे पु
श्री कक्षा में शासकीय ई. राघवेन्द्र राव
स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय बिलासपुर छात्रावास के सभी नियमों का अवलोकन सावधानी पूर्वक कर लिया है एवं मैं उन नि
से पूर्णतः सहमत हूँ। यदि मेरा पुत्र इन नियमों का उल्लंघन करता है तो जो भी दंड प्राचार्य द्वारा तय किया जायेगा वह उनके अधिव
क्षेत्र में होगा।

छात्र के हस्ताक्षर

दिनांक.....

पालक/अभिभावक के हस्ताक्षर

दिनांक.....

पूर्ण पता.....

फोन नं.....

नोट - स्थानीय अभिभावक का नाम, पता, रिश्ता, उम्र तथा फोन नं. फोटो तथा मिलने वालों के फोटो (अभिभावक द्वारा सत्यापित)